Bihar State Hydroelectric Power Corporation Limited

Sone Bhawan, 2nd Floor, B.C. Pate Marg, Patna – 800 001

Public Notice

Pubic Motice-BERC-2025.docx

Truing up of ARR for FY 2016-17 and FY 2017-18 of BSHPCL

- 1. Bihar State Hydroelectric Power Corporation Limited (BSHPCL) is a registered Company under the Companies Act 1956. It is responsible for exploring all possibilities of hydroelectric potential and its development in the Bihar State. BSHPCL has established 13 no. of small hydroelectric power stations which are operational. Bihar Regulatory Commission has notified the BERC (Terms and Conditions for determination of Tariff) Regulations 2007 effective from the date of Gazette notification i.e. 27.04.2007. According to the regulation 5(1), the BSHPCL shall file tariff petition every year for determination of tariff. BSHPCL has filed tariff petition for true up of FY 2016-17 and FY 2017-18.
- 2. BSHPCL had filed petition for true up of ARR for FY 2010-11 up to FY 2015-16. The Commission had trued up the ARR for FY 2010-11 up to FY 2015-16 and issued order dated 01.10.2024 in Case No. 23 of 2022.
- 3. BSHPCL, in terms of section 62 readwith section 86 (e) of the Electricity Act 2003 and BERC (Terms and conditions for determination of Tariff) Regulations 2007, has now filed a petition for true up of ARR for FY 2016-17 and FY 2017-18. The petition has been taken on record by the Commission as Case No. 39 of 2025.
- 4. The brief of ARR and revenue gap claimed by BSHPCL for FY 2016-17 and FY 2017-18 is as given below:

(Rs. in crore)

Sl No.	Particulars	FY 2016-17	FY 2017-18
1.	O&M expanses	7.96	8.47
2.	Depreciation	8.98	8.98
3.	Interest on Loan	6.39	5.97
4.	Return on Equity	4.44	4.44
5.	Interest on working capital	0.97	1.02
6.	ARR for year	28.74	28.88
7.	Revenue as per audited accounts	5.72	4.07
8.	True up ARR	23.01	24.79

(2)

5. Copies of the petition are available in the office of the Chief Engineer (Electrical),

BSHPCL, 2nd Floor, Sone Bhawan, Birchand Patel Marg, Patna - 800001 from

27.11.2025 onwards on payment of Rs.500/-. The Tariff Petition is also available on the

website of www.bshpcltd.com/ www.berc.co.in and can be downloaded therefrom.

6. Interested persons may also inspect and peruse the said Tariff Petition and take note

thereof during office hours in the said office free of charge. Objections/

Suggestions/Comments, if any, on the BSHPCL petition together with supporting

material may be filed separately with the Secretary, Bihar Electricity Regulatory

Commission, Ground Floor, Vidyut Bhawan-11, Bailey Road, Patna - 800021 in

person or through registered post to be received on or before 17.12.2025.

A copy of the same shall also be served on to the Chief Engineer (Electrical),

BSHPCL, 2nd Floor, Sone Bhawan, Birchand Patel Marg, Patna - 800001 and proof

of serving the same must be enclosed with the filing made to the Secretary BERC.

7. Objections/ suggestions/ Comments shall be filed in six copies carrying full name

and postal address of the person filing the objections. If the objection is filed on

behalf of any organization or any class of consumers, it should be so mentioned.

8. BERC shall conduct public hearings on 23.12.2025 at 11.30 A.M in its Court Room

at Patna.

Place: Patna

Date:

For Bihar State Hydro Power
Corporation Ltd.
Chief Engineer (Electrical)
2nd Floor, Sone Bhawan,

Birchand Patel Marg, Patna - 800 001

बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि0 सोन भवन (द्वितीय मंजिल), बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना–800 001

सार्वजनिक सूचना

वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए बीएसएचपीसीएल का टैरिफ निर्धारण हेतु

- 1. बिहार राज्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएसएचपीसीएल) कंपनी जो कंपनियों के अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है। यह बिहार राज्य में हाइड्रोइलेक्ट्रिक संभावना और उसके विकास के सभी संभावनाओं का अन्वेषण करने के लिए जिम्मेदार है। बीएसएचपीसीएल ने 13 छोटे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की है जो संचालित हैं। बिहार विद्युत नियामक आयोग ने बीईआरसी (टैरिफ का निर्धारण के लिए शर्तें और नियम) विनियमन 2007 को गजट प्रकाशन की तिथि दिनांक 27.04.2007 से लागू किया है। नियम 5(1) के अनुसार, बीएसएचपीसीएल को टैरिफ का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक वर्ष टैरिफ प्रस्ताव दाखिल करना होगा। बीएसएचपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2016—17 एवं 2017—18 के द्र—अप के लिए याचिका दायर किया है।
 - 2. बीएसएचपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2010—11 से 2015—16 तक के एआरआर के ट्रू—अप के लिए याचिका दाखिल की थी। आयोग ने दिनांक 01.10.2024 को वाद संख्या संख्या 23/2025 में वित्तीय वर्ष 2010—11 से 2015—16 के लिए एआरआर का ट्रू—अप में आदेश पारित किया है।
 - 3. बीएसएचपीसीएल ने विद्युत अधिनियम, 2003 के 62 सहपठ्य 86(ई) और बीईआरसी (टैरिफ का निर्धारण के लिए शर्तें और नियम) विनियमन 2007 के तहत वित्तीय वर्ष 2016—17 एवं 2017—18 के टू—अप के लिए याचिका दायर किया है। आयोग ने इस याचिका को वाद संख्या 39/2025 के रूप में दर्ज किया है।

4. बीएसएचपीसीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2016—17 एवं वित्तीय वर्ष 2017—18 के लिए एआरआर और राजस्व अंतर का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है: —

(रूपये करोड़ में)

Sl	Particulars	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
No.		2016-17	2017-18
1.	ओएंडएम खर्च	7.96	8.47
2.	मूल्याह्रास	8.98	8.98
3.	ऋण पर ब्याज	6.39	5.97
4.	हिस्सेदारी पर वापसी	4.44	4.44
5.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	0.97	1.02
6.	वर्ष के लिए एआरआर	28.74	28.88
7.	लेखापरीक्षित खातों के	5.72	4.07
	अनुसार राजस्व	3.72	7.07
8.	एआरआर का ट्रू अप	23.01	24.79

- 5. संदर्भित टैरिफ याचिका की प्रतियां रुपये 500 / के भुगतान के साथ मुख्य अभियंता (विद्युत) के कार्यालय, बीएसएचपीसीएल, द्वितीय तल, सोन भवन—1, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना 800001 में दिनांक 27.11.2025 के उपरांत उपलब्ध हैं। टैरिफ याचिका https://www.bshpcltd.com/ www.berc.co.in की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और इसे वहां से डाउनलोड किया जा सकता है।
- 6 कार्यालय समय के दौरान इच्छुक व्यक्ति उक्त टैरिफ याचिका का निरीक्षण, अवलोकन एवं निःशुल्क नोट कर सकते हैं। उक्त टैरिफ याचिका पर आपत्ति / सुझाव, यदि कोई हो, सहायक सामग्री के साथ अलग से सचिव, बिहार विद्युत विनियामक आयोग, भूतल, विद्युत भवन— II, बेली रोड, पटना 800021 के पास व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से अलग से दायर किया जा सकता हैं ताकि 17.12.2025 को या उससे पहले उन तक पहुंच सकें।

इसकी एक प्रति मुख्य अभियंता (विद्युत), बीएसएचपीसीएल, दूसरी मंजिल, सोन भवन—1, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना — 800 001 को भेजी जाएगी और सचिव, बिहार विद्युत नियामक आयोग को की गई फाइलिंग के साथ इसका प्रमाण संलग्न किया जाएगा।

- 7. उपर्युक्त आपित्तयां / सुझाव आपित्तयां भेजने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, डाक पता के साथ छह प्रतियों में दर्ज किए जाना चाहिए। यदि आपित्त किसी संगठन या उपभोक्ताओं के किसी वर्ग की ओर से दाखिल की जाती है तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिए।
- 8. बिहार विद्युत विनियामक आयोग दिनांक 23.12.2025 को पूर्वाहन 11.30 बजे जनसुनवाई करेगा।

स्थान : पटना।

दिनांक :

बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि0 मुख्य अभियंता (वि०) सोन भवन (द्वितीय मंजिल), बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना — 800 001